रूस-यूक्रेन वार्ता: युद्धविराम से टिकाऊ शांति तक

समाचार-संदर्भ: 7 नवंबर 2026 को रूसी प्रतिनिधिमंडल की घोषणा; 10-11 नवंबर की प्रस्तावित वार्ता
प्रकाशन: 8 नवंबर 2026
मुख्य परीक्षा: GS-II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ और भारत के हित



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

रूस ने **7 नवंबर 2026** को बताया कि अमेरिका और यूक्रेन के साथ अबू धाबी में होने वाली वार्ता में उसके वरिष्ठ राजनयिक और सैन्य अधिकारी शामिल होंगे। **व्लादिमीर मेदिंस्की** रूसी दल के प्रमुख वार्ताकार होंगे। उप विदेश मंत्री **सर्गेई रयाबकोव** भी इस प्रारूप में पहली बार शामिल होंगे।

यह त्रिपक्षीय बैठक **10-11 नवंबर 2026** को संयुक्त अरब अमीरात में प्रस्तावित है। 6 नवंबर को रूस के राष्ट्रपति ने इसकी तैयारी पर चर्चा की थी। उसी दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी नॉर्डिक और बाल्टिक देशों के नेताओं के साथ तैयारी पर बात की। **8 नवंबर तक यह आगामी वार्ता है, संपन्न बैठक या शांति समझौता नहीं।**

इस पहल का अर्थ

त्रिपक्षीय वार्ता का अर्थ तीन पक्षों की बातचीत है। यहाँ रूस और यूक्रेन संघर्ष के पक्ष हैं, जबकि अमेरिका संवाद कराने में भूमिका निभा रहा है। **मध्यस्थता** में तीसरा पक्ष सहमति बनाने में सहायता करता है; वह केवल बैठक कराने से दूसरे देशों की ओर से निर्णय लेने का अधिकार नहीं पा जाता। अबू धाबी वार्ता का स्थान है, इसलिए मेजबान देश और वार्ता के तीन भागीदारों में अंतर रखना चाहिए।

रूसी दल में सैन्य तथा कूटनीतिक विशेषज्ञों की मौजूदगी सुरक्षा और क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की क्षमता बढ़ा सकती है। लेकिन दल की वरिष्ठता से किसी क्षेत्रीय रियायत, तैयार युद्धविराम या अंतिम समझौते का निष्कर्ष नहीं निकलता। इस बैठक के संदर्भ में युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्थाओं और तनाव घटाने पर बातचीत की बात कही गई है; अंतिम परिणाम अभी अज्ञात है।

संबंधित अध्ययन: पश्चिम एशिया का तनाव समुद्री व्यापार और ऊर्जा-सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है, इसे **होर्मुज़ में तनाव और भारत के हित** में पढ़ें। यह रूस-यूक्रेन वार्ता से अलग घटनाक्रम है।

युद्धविराम और शांति में अंतर

युद्धविराम लड़ाई या कुछ सैन्य गतिविधियों को रोकने की व्यवस्था है। उसका क्षेत्र, अवधि और दायरा पक्षों के समझौते पर निर्भर करता है। सभी युद्धविराम एक जैसे नहीं होते। वह पूरे मोर्चे पर लागू हो सकता है या किसी क्षेत्र अथवा हमले के प्रकार तक सीमित हो सकता है।

मानवीय विराम राहत पहुँचाने, नागरिकों को निकालने या अन्य मानवीय कार्य के लिए अस्थायी रोक है। इसे पूरे युद्ध का अंत नहीं मानना चाहिए। **शांति समझौता** व्यापक राजनीतिक विवाद और भविष्य की व्यवस्था को संबोधित कर सकता है। युद्धविराम शांति प्रक्रिया का रास्ता खोल सकता है, लेकिन उससे संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़े प्रश्न अपने आप हल नहीं होते।

सुरक्षा आश्वासन सामान्य समर्थन का वादा हो सकता है, जबकि किसी **सुरक्षा गारंटी** का वास्तविक महत्व उसके लिखित दायित्व, उल्लंघन पर कार्रवाई और उसे लागू करने की क्षमता से तय होगा। केवल नाम देखकर उसे सैन्य संधि या स्वतः युद्ध में प्रवेश की बाध्यता नहीं समझना चाहिए। इस वार्ता के लिए कोई निश्चित गारंटी यहाँ घोषित नहीं मानी गई है।

एक विश्वसनीय युद्धविराम की शर्तें

- **स्पष्ट दायरा:** कब से रोक लागू होगी, कहाँ होगी और कौन-सी गतिविधियाँ निषिद्ध होंगी? केवल ‘हमले रोकेंगे’ कहना पर्याप्त स्पष्ट नहीं हो सकता।
- **निगरानी और सत्यापन:** निगरानी में घटनाओं की सूचना एकत्र की जाती है। सत्यापन में तय तरीके से जाँचा जाता है कि समझौते का पालन हुआ या नहीं। स्वतंत्र पहुँच, साझा मानक और शिकायत की व्यवस्था भरोसा बढ़ा सकते हैं।
- **उल्लंघन का समाधान:** आरोप की जाँच, सीधे सैन्य संपर्क, विवाद निपटाने और तनाव घटाने की प्रक्रिया तय होनी चाहिए। बिना जाँच हर आरोप को स्थापित तथ्य मानना समझौते को कमजोर कर सकता है।
- **नागरिकों की सुरक्षा:** राहत, अस्पताल, बिजली-पानी और सुरक्षित आवागमन को ध्यान में रखना जरूरी है। किसी सीमित समझौते से अन्य नागरिक लक्ष्यों पर हमले वैध नहीं हो जाते।
- **व्यावहारिक क्रियान्वयन:** आदेश निचले स्तर तक पहुँचना, संसाधन उपलब्ध होना और लागू करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होना भी जरूरी है।

समझौता कठिन क्यों है

क्षेत्र और संप्रभुता: किसी क्षेत्र पर वास्तविक सैन्य नियंत्रण और उस पर वैध संप्रभुता का दावा अलग प्रश्न हैं। युद्धविराम रेखा को स्वतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान लेने से राजनीतिक विवाद समाप्त नहीं होता। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का **अनुच्छेद 2(4)** राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल की धमकी या प्रयोग पर रोक का मूल सिद्धांत देता है।

भविष्य की सुरक्षा: हथियारों की तैनाती, संभावित नई लड़ाई और बाहरी सहयोग पर पक्षों की अपेक्षाएँ अलग हो सकती हैं। अस्पष्ट वादे तत्काल घोषणा तो संभव बना सकते हैं, पर बाद में अलग व्याख्याएँ नया विवाद पैदा कर सकती हैं।

भागीदारी और स्वीकार्यता: यूक्रेन ने यूरोप की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों में यूरोपीय देशों की भागीदारी का महत्व बताया है। किसी भी टिकाऊ व्यवस्था के लिए प्रभावित पक्षों का भरोसा तथा नागरिकों और महिलाओं की सार्थक भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। इसे केवल नेताओं की संयुक्त तस्वीर तक सीमित नहीं करना चाहिए।

भारत के लिए महत्व

शांति और नियम: भारत के विदेश मंत्री ने **17 नवंबर 2025** के आधिकारिक वक्तव्य में संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और टिकाऊ शांति के प्रयासों का समर्थन किया था। यह भारत की पूर्वघोषित स्थिति का संदर्भ है, नवंबर 2026 की इस विशेष बैठक में भारत की भागीदारी या किसी नए प्रस्ताव की घोषणा नहीं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का **अनुच्छेद 33** बातचीत, मध्यस्थता और अन्य शांतिपूर्ण तरीकों से विवाद के समाधान का मार्ग बताता है।

आर्थिक जोखिम: लंबा युद्ध ऊर्जा, खाद्यान्न, उर्वरक और परिवहन बाजारों में अनिश्चितता बनाए रख सकता है। भारत के लिए आयात-स्रोतों की विविधता और आपूर्ति की निरंतरता महत्वपूर्ण हैं। फिर भी वार्ता की घोषणा से इन वस्तुओं की कीमतों में निश्चित गिरावट या आपूर्ति सामान्य हो जाने का दावा नहीं करना चाहिए।

कूटनीतिक संतुलन: भारत के लिए अलग-अलग देशों से संबंध बनाए रखते हुए नागरिक सुरक्षा और शांतिपूर्ण समाधान को प्राथमिकता देना उपयोगी है। संवाद का समर्थन करना किसी पक्ष की हर कार्रवाई को स्वीकार करना नहीं है। भारत को इस बैठक का मध्यस्थ बताने का भी कोई आधार यहाँ नहीं है।

आगे की राह

शुरुआत ऐसे सीमित कदमों से हो सकती है जिनके पालन को जाँचा जा सके, जैसे मानवीय सहायता, बंदियों से जुड़े प्रबंध या चुनिंदा असैन्य सुविधाओं की सुरक्षा। ये संभावित नीतिगत विकल्प हैं, इस बैठक में स्वीकृत निर्णय नहीं। आगे उनका संबंध व्यापक राजनीतिक प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ा जाना चाहिए।

वार्ता की सफलता को केवल बैठक होने से नहीं, बल्कि **स्पष्ट सहमति, सत्यापन योग्य पालन, नागरिकों की सुरक्षा और दोबारा संघर्ष का जोखिम घटने** से आँकना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल की घोषणा प्रक्रिया की शुरुआत का संकेत है; टिकाऊ शांति का प्रमाण उसके परिणाम और क्रियान्वयन होंगे।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

'युद्धविराम आवश्यक हो सकता है, लेकिन टिकाऊ शांति के लिए पर्याप्त नहीं।' रूस-यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। विश्वसनीय शांति प्रक्रिया में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्थाओं की भूमिका स्पष्ट कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: युद्धविराम को सैन्य गतिविधियों की सहमत रोक और टिकाऊ शांति को व्यापक राजनीतिक-सुरक्षा व्यवस्था के रूप में अलग कीजिए। आगामी वार्ता को संपन्न समझौता न लिखें।

मुख्य भाग में: क्षेत्रीय अखंडता, भविष्य की सुरक्षा और पक्षों के अविश्वास की चुनौतियाँ बताइए। स्पष्ट दायरा, निगरानी-सत्यापन, उल्लंघन की जाँच, मानवीय सुरक्षा और प्रभावित पक्षों की भागीदारी पर चर्चा कीजिए। भारत के लिए शांति और आपूर्ति-सुरक्षा का महत्व जोड़िए।

निष्कर्ष में: चरणबद्ध, समावेशी और सत्यापन योग्य प्रक्रिया का सुझाव दीजिए, जो लड़ाई की रोक को टिकाऊ राजनीतिक समाधान से जोड़े।

स्रोत

1. द जेरूसलम पोस्ट में प्रकाशित रॉयटर्स रिपोर्ट, 7 नवंबर 2026: रूसी प्रतिनिधिमंडल
2. Investing.com में प्रकाशित रॉयटर्स रिपोर्ट, 3 नवंबर 2026: 10-11 नवंबर की प्रस्तावित वार्ता
3. रूसी राष्ट्रपति कार्यालय, 6 नवंबर 2026: सुरक्षा परिषद की बैठक
4. यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय, 6 नवंबर 2026: वार्ता की तैयारी

5. संयुक्त राष्ट्र चार्टर: अनुच्छेद 2 और 33
6. संयुक्त राष्ट्र: युद्धविराम की मध्यस्थता और सत्यापन संबंधी मार्गदर्शन
7. विदेश मंत्रालय, 17 नवंबर 2025: शीघ्र संघर्ष-समाप्ति और टिकाऊ शांति पर भारत का वक्तव्य